

राजस्थान सरकार
राज्य [35-6] विभाग

क्रमांक:- 406/18/राज-6/99/ 5 जयपुर, दिनांक:- 11/4/2007

-: अधिसूचना :-

राजस्थान सु-राज्य अधिनियम, 1956 [1956 का अधिनियम संख्या-15] की धारा 28B की उप-धारा [1] के अंतर्गत [1] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एक द्वारा अधिनियम की धारा 28-अ के तहत राजस्थान विधायी [संशोधन] अधिनियम, 1999 [1999 का अधिनियम संख्या 21] के द्वारा अन्तःस्थापित की गई है, के प्रयोगार्थ निम्न-लिखित अधिकारियों को उनके सामने जीवित केन्द्र के भीतर अधिकारों का कार्यवाहक [Extinction] एवं पुनः का प्रारंभ [Resumption] करने हेतु प्राधिकृत अधिकारों की शक्तियाँ प्रदत्त करती है ।

अधिकारी

केन्द्र

1. ज्वायल कोहतर, केन्द्र पाटन

जयपुराधिकार केन्द्र पाटन एवं जयपुर

2. ज्वायल कोहतर, जयपुराधिकार केन्द्र

जयपुराधिकार कोहतर एवं जयपुर

राज्यपाल की आज्ञा से,

82
[विश्व कुमार वर्मा]
शासन उप सचिव

ए. निम्नलिखित निम्नलिखित को प्रयोगार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, राज्य मंत्री / राज्य सचिव ।
2. शिक्षा कोहतर, जयपुर ।
3. निदेशक, राज्य मंत्रालय, जयपुर ।
4. निदेशक, राज्य केन्द्रीय प्रशासन, जयपुर को राजस्थान विधायी दिनांक: 11/4/2007 के प्रयोगार्थ ।
5. "साक्षरता" राज्य मंत्रालय, जयपुर ।
6. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर ।
7. उप निदेशक [विभागाध्यक्ष एवं सहायक] राज्य मंत्रालय, जयपुर ।
8. शासन उप सचिव, जयपुराधिकार एवं जयपुराधिकार विभाग, जयपुर ।
9. रक्षित प्रतिलिपि ।

[हस्ताक्षर]
शासन उप सचिव

सं. 10/18 ।